न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

अपील संख्या 206/2015

पीठासीन अधिकारी करतार सिंह पूनियाँ
RAS

1 मृतक सोहनसिंह पुत्र रामूराम जाति माली निवासी अशोक नगर बगड़ तहसील व जिला झुंझुनू।

1/1 सन्तोष पत्नी सोहन सिंह।

1/2 तेजपाल सिंह पुत्र सोहन सिंह जाति माली निवासी अशोक नगर बगड़ तहसील व जिला झुंझुनू।

1/3 मन्जु देवी पुत्री सोहन सिंह पत्नी महेन्द्र सैनी जाति माली निवासी माबडिया कृषि फार्म चिडावा तहसील चिडावा जिला झुंझुनू।

1/4 संजु देवी पुत्री सोहन सिंह पत्नी ज्योति प्रकाश सैनी जाति माली निवासी कबुतर खाना के पीछे चिडावा तहसील चिडावा जिला झुंझुनू।

1/5 माया देवी पुत्री सोहनसिंह पत्नी सुरेश सैनी जाति माली निवासी सिघांना तहसील बुहाना जिला झुंझुनू।

1/6 पुष्पा पुत्री सोहनसिंह पत्नी पवन सैनी जाति माली निवासी राणी सती मन्दिर के पीछे झुंझुनू।

1/7 सुनिता पुत्री सोहन सिंह पत्नी जितेन्द्र कुमार सैनी जाति माली निवासी भरण की ढाणी थोई जिला सीकर।

1/8 अनिता कुमार पुत्री सोहनसिंह पत्नी मनोज सैनी जाति माली निवासी भरण की ढाणी थोई जिला सीकर।

1/9 लीला कुमारी पुत्री सोहनसिंह पत्नी प्रेमप्रकाश जाति माली निवासी राणी सती मन्दिर के पास झुंझुनू।

अपीलांट

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर- (कृषि ...)

बनाम

1 महादाराम पुत्र मांगुराम।
2 बारसीलाल पुत्र नाथाराम।
3 रघुवीर प्रसाद पुत्र भागीरथमल।
4 रेखाराम पुत्र भागीरथमल।
5 ओमप्रकाश पुत्र रामधारी समस्त जाति माली निवासीगण अशोक नगर बगड़ तहसील व जिला झुंझुनू।

रेस्पोंडेन्ट

अपील बखिलाफ निर्णय न्यायालय उपखण्ड
अधिकारी झुंझुनू प्रारम्भिक निर्णय व डिकी
दिनांक 14.03.2015 व अन्तिम निर्णय व डिकी
दिनांक 14.07.2015 मुकदमा उनवानी महादाराम
बनाम सोहनसिंह मु. नं. 91/2005

उपस्थित

1. श्री विनोद मिल अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री विनय चौधरी अधिवक्ता रेस्पोडेंट
3. श्री कृष्ण कुमार शर्मा अधिवक्ता रेस्पोडेंट

अधिकारी
(कैम्प झुंझुनूं)

–निर्णय–

दिनांक:–13.09.2018

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू द्वारा वाद संख्या 91/2005 में पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 14.03.2015 व अंतिम निर्णय व डिक्री 14.07.2015 के विरूद्व प्रस्तुत की है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण में वादी महादाराम ने प्रतिवादीगण के विरूद्व भूमि खसरा नम्बर 528,529,530 ,531,532,534 वाके ग्राम अशोक नगर बगड़ तहसील व जिला झुंझुनू के सन्दर्भ में दावा खाता विभाजन व बंटवारा घोषणार्थ प्रस्तुत किया विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई प्राथमिक निर्णय दिनांक 14.03.2015 से प्राथमिक डिक्री जारी की एवं दिनांक 14.07.2015 से अंतिम डिक्री पारित की। जिससे व्यथित होकर प्रतिवादी संख्या 1 सोहन सिंह की और से यह वकील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष ने सहमती से विचाराधीन दोनों निर्णय अपास्त करने एवं प्रकरण उभयपक्ष को सुनकर पुन निर्णय हेतु प्रतिप्रेषित करने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया चूकि उभयपक्ष के अधिवक्तागण इस बिन्दु पर सहमत है कि विचारण न्यायालय के दोनों निर्णय अपास्त कर प्रकरण विचारण न्यायालय को पुन निर्णय हेत प्रतिप्रेषित कर दिया जावे। ऐसी स्थिति में गुणावगुण पर विवेचन किये बिना अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 का आवेदन न्यायहित में स्वीकार कर अपील पेश करने में हुई देरी को कन्डोन किया जाता है एंव अपील अपीलांट स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन दोनों निर्णय व डिक्री अपास्त किये जाते

अधिकारी
(कैम्प झुंझुनूं)

है। प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को साक्ष्य सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान कर गुणावगुण पर पुन विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 12.11.2018 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 13.09.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

13.9.18

(करतार सिंह पूनियाँ)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर